फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

अनुदान संख्या व नाम : 43- परिवहन विभाग वित्तीय वर्ष 2018-19 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष)	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग
1	2	3	4	5	6
3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशक तथा प्रशास-03-अधिष्ठान व्यय 01-वेतन	11774.74	410.75	410.75	410.75	11363.99
योग-	**11774.74**	**410.75**	**410.75**	**410.75**	**11363.99**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2059 01 051 03 00 2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव 29-अनुरक्षण					
3055 00 800 05 00 3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय- 03-मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम ट्रिब्यूनल	22.00	75.00	53.00	53.00	75.00
08--कार्यालय व्यय	22.00	75.00	53.00	53.00	75.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	110.00	375.00	256.00	256.00	375.00
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रौल आदि की खरीद	7.70	26.25	18.55	18.55	26.25
16-व्यवावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2.20	7.50	5.30	5.30	7.50
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	6.60	22.50	15.90	15.90	22.50
योग -	**170.50**	**581.25**	**410.75**	**410.75**	**581.25**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है :-

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका संख्या-4215/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.11.2018 के अनुपालन में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-165 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहित राज्यपाल महोदय द्वारा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए शासनादेश संख्या-77/तीस-3-2019 दिनांक 09.01.2019 द्वारा 71 जनपदों में कुल 75 मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। दिनांक 27.02.2019 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित वीडियों कांफ्रेसिंग में यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिकता पर प्रथम चरण में लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर एवं मेरठ में दो-दो मोटर एक्सीडेट क्लेम ट्रिब्यूनल एवं अन्य मण्डलीय मुख्यालयों पर एक-एक ट्रिब्यूनल अर्थात कुल22 ट्रिब्यूनल को तत्काल क्रियान्वित किया जाये। प्रश्नगत 22 ट्रिब्यूनल को तत्काल क्रियान्वित करने हेतु शासन के पत्र दिनांक 01.03.2019 द्वारा रू०170.50 लाख का पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधान किया जा चुका है।

अवशेष 53 जनपदों (शामली, अम्बेडकर नगर,अमेठी व श्रावस्ती को छोड़कर) में भी एक-एक मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की स्थापना किया जाना है, उक्त ट्रिब्यूनल के कार्यालय संचालन हेतु लगभग रू० 410.75 लाख की आवश्यकता अनुमानित है। अत: लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-01-वेतन मद में रू० 410.75 लाख की बचत सम्भावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

शासन के निर्देशानुसार 71 जनपदों में कुल 75 मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनलों की स्थापनाका निर्णयलियागयाहै।जिसकेसापेक्ष प्राथमिकतापरप्रथमचरणमेंलखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर एवं मेरठ में दो-दो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल एवं अन्य मण्डलीय मुख्यालयों पर एक-एक ट्रिब्यूनल अर्थात कुल-22 ट्रिब्यूनल को तत्काल क्रियान्वित करने हेतु शासन के पत्र दिनांक 01.03.2019 द्वारा रू०170.50 लाख का पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधान किया जा चुका है।

अवशेष 53 जनपदों में (शामली, अम्बेडकर नगर, अमेठी व श्रावस्ती को छोड़कर) में एक-एक मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की स्थापना किया जाना है, उक्त ट्रिब्यूनल के कार्यालय संचालन हेतु लगभग रू० 410.75 लाख की आवश्यकता अनुमानित है।

लेखाशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण में कार्यालय के रिन्यूवेशन हेतु रू० 1.00 लाख प्रति कार्यालय की दर से रू० 53.00 लाख की आवश्यकता अनुमानित है।

इसके अतिरिक्त मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के कार्यालय संचालन हेतु लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03- मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के अन्तर्गत मानक मद-08-कार्यालय व्यय में रू० 1.00 लाख प्रति कार्यालय की दर से रू० 53.00 लाख,12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में रू०5.00 लाख प्रति कार्यालय की दर से रू० 256.00 लाख, 15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रौल आदि की खरीद मद में रू० 35 हजार प्रति वाहन प्रति माह की दर से एक माह हेतु रू० 18.55 लाख, 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भुगतान मद में आउट सोर्सिंग से एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखे जाने पर रू० 10 हजार प्रति कर्मचारी की दर से रू० 5.30 लाख तथा मद संख्या-17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व के अन्तर्गत किराये पर भवन लिये जाने हेतु रू० 30 हजार प्रति कार्यालय प्रति माह की दर से रू० 15.90 लाख की आवश्यकता अनुमानित है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-550/ई-9-यू0ओ0-610/दस-2019, दिनॉक 09 मार्च, 2019

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह०/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव,
परिवहन विभाग।

ह०/-
(संजय कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या-13/2019/625/तीस-3-19-06बी/2014टीसी, दिनॉक 09 मार्च, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव,
परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।